



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2009/फाल्गुन 18, 1930

No. 139]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2009/PHALGUNA 18, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2009

सा.का.नि. 158(अ).—केन्द्रीय सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 को अधिसूचना सं का.आ. 1046(अ) तारीख 22 नवम्बर, 2000 को अधिसूचित किया है।

और केन्द्रीय सरकार में गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें यह अनुरोध किया है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण विभिन्न कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए कतिपय और संशोधन किए जाएं।

और, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा 2 और धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उपयोग करते हुए, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम का प्रस्ताव करती है। ये नियम सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियाँ, जिसमें सूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

प्रस्तावित प्रारूप नियमों पर अपने आक्षेपों या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इसे सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110010 को भेज सकेंगे जिन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2009 है।
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के आरम्भिक भाग में "संनिर्माण कार्यकलाप" शब्दों के पश्चात्, "पटाखे, ध्वनि उत्पन्न करने उपकरण" शब्दों को अतः स्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 2 में, वाक्यांश (ज) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जायेंगे ।

"(ज) "सार्वजनिक स्थल" से ऐसे स्थान अभिप्रेत हैं जिसमें जनता की पहुंच है चाहे उसका अधिकार हो या न हो, और जिनके अन्तर्गत ऑडीटोरियम, होटल, जन प्रतीक्षालय, राभा केन्द्र, लोक कार्यालय, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाल, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, खुले मैदान, और इसी प्रकार के स्थान जिनमें की आम जनता जाती है; और

(ज) "रात्रि समय" से 10.00 बजे अपराह्न और 6.00 बजे पूर्वाह्न के बीच की अवधि अभिप्रेत है ।"

4. उक्त नियमों में, -

(i) नियम 3, उप नियम (3) में, "यानीय रांचलन से प्रसजित ध्वनि" शब्दों के पश्चात् "हार्न बजाना, आवाज करने वाले पटाखें फोड़ना, लाउड स्पीकरों या लोक संबोधन प्रणाली और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा,-

"(3क) राज्य सरकार, लोक आपात स्थिति के सिवाय शांत परिक्षेत्र और आवासीय क्षेत्रों में रात्रि समय में हॉर्न बजाने को रोकने के लिए उपाय करेगी ।"

5. उक्त नियमों के नियम 5 में, -

(क) नियम 5 के शीर्ष में, "लोक संबोधन प्रणाली" शब्दों के पश्चात्, "और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों" शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा ।

(ख) उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा ।

(2) "लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण या वाद्य उपकरण या ध्वनि प्रवर्धन का प्रयोग, हाल के भीतर सिवाय तब के जब वह संसूचना के लिए बंद परिसर हो जैसे, प्रेक्षागृह, सम्मेलन कक्ष, सामुदायिक हाल, प्रीतिभोज हाल अथवा सार्वजनिक आपातस्थिति के दौरान, रात्रि में नहीं किया जाएगा ।"

(iii) उपनियम (3) में,-

(क) "रात्रि के दौरान लोक संबोधन प्रणालियों" शब्दों के स्थान पर "रात्रि के दौरान लोक शब्द संबोधन प्रणाली और इसके सामान" अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) "किसी कलैन्डर वर्ष के दौरान सीमित अवधि पंद्रह दिनों से अधिक नहीं", शब्दों के पश्चात् "संबंधित जिला मजिस्ट्रेट साधारणतया पहले से दिनों की संख्या और विवरणों का अग्रिम शब्द रूप से उल्लेख करेंगे जब ऐसी छूट प्रभावी होगी" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(घ) उप नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, -

"(4) सार्वजनिक स्थान जहाँ में लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्रोत उपयोग में लाया जा रहा है, वहाँ की चारदीवारी में ध्वनि स्तर, क्षेत्र के लिए परिवेशी ध्वनि स्तरों 10 dB(A) अथवा 75 dB(A) जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

5) किसी निजी स्वामित्व के ध्वनि प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का परिधीय ध्वनि स्तर, निजी स्थान की चारदीवारी में उस क्षेत्र जहाँ यह उपयोग में लाया जा रहा है, के लिए परिवेशी ध्वनि मानक के 5 dB(A) से अधिक न होगा।"

6. उक्त नियमों में, नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, -

"(5 क) भोंपू (हॉर्न) के उपयोग और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध. (1) शांत परिक्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों में सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर रात्रि में भोंपू (हॉर्न) का उपयोग नहीं किया जाएगा,

(2) रात्रि समय में ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे।

(3) उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन, जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक हैं, रात के घंटों (10.00 बजे रात्रि से 12.00 बजे मध्य रात्रि तक) अथवा किसी सांस्कृतिक या धार्मिक पर्व के अवसर पर या उसके दौरान ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखों को फोड़ने की सीमित अवधि के लिए, जो किसी कलैन्डर वर्ष के दौरान कुल मिलाकर पंद्रह दिन से अधिक भी नहीं होगी, अनुमति दे सकेगी। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट साधारणतया पहले से दिनों की संख्या और विवरणों का अग्रिम रूप से उल्लेख करेंगे जब ऐसी छूट प्रभावी होगी।"

7. उक्त नियमों में, -

(i) नियम 6 में, खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) जो कोई ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे फोड़ता है, या

(v) जो कोई लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग करता है।"

(ii) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(6 क) रात्रि समय के दौरान किसी उल्लंघन के परिणाम. - जो भी, रात्रि समय के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में इन नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत दण्ड का दायी होगा।"

8. उक्त नियम के उप-नियम 7(1) में "संबंधित कॉलम के विरुद्ध किररी क्षेत्र/परिक्षेत्र" शब्दों के पश्चात् "या, यदि रात्रि समय के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, नियम 8 में, उप नियम 1, खंड (क) में,-

(i) उपखंड (ii) में "लोक संबोधन प्रणाली उपकरणों या उपस्कर" के स्थान पर, "लोक संबोधन प्रणाली, हार्न, उपकरणों या उपस्कर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।

(ii) उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, -

"(iii) "ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे फोड़ने से उत्पन्न ध्वनि, या"

[फा. सं. ब्यू-15022/02/08]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना स.का.आ. 123(अ), तारीख 14 फरवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चावर्ती संशोधन का.आ. 1046(3), तारीख 22 नवम्बर, 2000, का.आ. 1088(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2002 और का.आ. 1569(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2006 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2009

G.S.R. 158(E).—Whereas, the Central Government has notified the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 vide the notification number S.O. 1046 (E), dated 22nd November, 2000.

And, Whereas, the Central Government has received representations from Non-Government Organizations and individuals requesting for certain further amendments in view of various difficulties being faced due to noise pollution;

And, Whereas, the Central Government proposes to issue the following draft rules in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, further to amend the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000. These rules are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the proposed draft rules may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110510.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, (hereinafter referred to as the said rules), in the opening portion, after the words "construction activity", the words "fire crackers, sound producing instruments" shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 2, after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:-

(i) "public place" means any place to which the public have access, whether as of right or not, and includes auditorium, hotels, public waiting rooms, convention centres, public offices, shopping malls, cinema halls, educational institutions, libraries, open grounds and the like which are visited by general public; and

(j) "night time" means the period between 10.00 p.m. and 6.00 a.m.;

4. In the said rules, -

(i) in rule 3, in sub-rule (3) after the words "noise emanating from vehicular movements", the words "blowing of horns, bursting of sound emitting fire crackers, use of loud speakers or public address system and sound producing instruments" shall be inserted;

(ii) after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:-

"(3A) The State Government shall take measures to stop the blowing of horns at night time in silence zones and residential areas except during a public emergency."

5. In the said rules, in rule 5,-

(i) in the heading, after the words "PUBLIC ADDRESS SYSTEM", the words "AND SOUND PRODUCING INSTRUMENTS" shall be inserted;

928 GI/09-2

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) A loud speaker or a public address system or any sound producing instrument or a musical instrument or a sound amplifier shall not be used at night time except in closed premises for communication within, like auditoria, conference room, community halls, banquet halls or during a public emergency.”;

(iii) in sub-rule (3), -

(a) for the words “public address systems during night hours”, the words “public address system and the like during night hours” shall be substituted;

(b) after the words “a limited duration not exceeding fifteen days in all during a calender year”, the words “the concerned Distract Magistrate shall generally specify in advance, the number and particulars of the days on which such exemption should be operative” shall be inserted;

(iv) after sub-rule 3 as so amended, the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(4) The noise level at the boundary of the public place, where loudspeaker or public address system or any other noise source is being used shall not exceed 10 dB (A) above the ambient noise standards for the area or 75 dB (A) whichever is lower.

(5) The peripheral noise level of a privately owned sound system or a sound producing instrument shall not, at the boundary of the private place, exceed by more than 5 dB (A) the ambient noise standards specified for the area in which it is used.”

6. In the said rules, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:-

“(5A) RESTRICTIONS ON THE USE OF HORNS AND BURSTING OF FIRE CRACKERS.- (1) No horn shall be used at night time in silence zones and residential areas except during a public emergency.

(2) Sound emitting fire crackers shall not be burst at night time.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the State Government may subject to such terms and conditions as are necessary to reduce noise pollution, permit bursting of sound emitting fire crackers during night hours (between 10.00 p.m. to 12.00 midnight) on or during any cultural or religious festive occasion of a limited duration not exceeding fifteen days in all during a calendar year. The concerned District Magistrate shall generally specify in advance, the number and particulars of the days on which such exemption should be operative.”

7. In the said rules,-

(i) in rule 6, after clause (iii), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(iv) Whoever, bursts sound emitting fire crackers, or

(v) Whoever, uses a loud speaker or a public address system.”;

(ii) after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:-

“6A. CONSEQUENCES OF ANY VIOLATION DURING NIGHT TIME -
Whoever, violates any provision of these rules regarding restrictions imposed during night time, shall be liable for penalty under the provisions of the Act.”.

8. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1), after the words “in the corresponding columns against any area or zone”, the words “or, if there is a violation of any provision of these rules regarding restrictions imposed during night time,” shall be inserted.

9. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (1), in clause (a), -

(i) in sub-clause (ii), for the words, “public address system, appliances or apparatus”, the words “public address system, horn, appliances or apparatus” shall be substituted;

(ii) after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(iii) sound caused by bursting of sound emitting fire crackers, or,”.

[F. No. Q-15022/02/08]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 123 (E) 14th February, 2000 and subsequently amended vide S.O. 1046 (E) dated 22nd November, 2000, S.O. 1088 (E) dated 11th October, 2002 and S.O. 1569 (E) dated 19th September, 2006